

**प्रपत्र ए  
सार्वजनिक घोषणा**

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अधीन]

**मेसर्स धनश्री एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के ऋणदाताओं के ध्यानार्थ**

प्रासंगिक विवरण	
1	निगमित कर्जदार का नाम
2	निगमित कर्जदार के गठन की तिथि
3	प्राधिकारी पिनके अधीन निगमित कर्जदार का गठन/पंजीवन किया गया है
4	निगमित कर्जदार का कॉरपोरेट आईडेंटिटी नम्बर
5	पंजीकृत कार्यालय का पता तथा व्यवसाय का मूल स्थल (यदि कोई है)
6	निगमित कर्जदार के संबंध में दिवालिया आरम्भ होने की तारीख
7	दिवालिया प्रस्ताव की प्रक्रिया बंद करने की अनुमानित तारीख
8	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर के रूप में कार्यरत दिवालिया पेशेवर का नाम एवं पंजीवन संख्या
9	बोर्ड के साथ पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर का पता एवं ईमेल
10	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर के साथ पत्राचार हेतु प्रयोग किया जाने वाला पता एवं ईमेल, यदि क्रमांक 9 में उल्लिखित से अलग हो
11	दावा जमा करने अंतिम तिथि

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण इलाहाबाद पीठ ने दिनांक 24/04/2018 को (आदेश की प्रति दिनांक 25/04/2018 को प्राप्त हुई) **धनश्री एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड** के खिलाफ एक निगमित दिवालिया प्रस्ताव की प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश जारी किया है।

**धनश्री एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड** के ऋणदाताओं को एतद्वारा आईबीबीआई (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवालिया प्रस्ताव प्रक्रिया) के अधीन अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर के पास मद 10 में उल्लिखित पते पर दिनांक 08/05/2018 को अथवा उससे पहले अपने दावों के साक्ष्य निम्नलिखित प्रारूप में जमा करने को कहा जाता है।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवालिया प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के अध्याय IV के अनुसार दावों के साक्ष्य जमा करने होंगे। दावों के साक्ष्य नीचे उल्लिखित निर्दिष्ट प्रारूप में जमा करना होगा:

1. प्रपत्र बी - परिचालनगत ऋणदाता (कामगार एवं कर्मचारियों के अलावा)
2. प्रपत्र सी - वित्तीय ऋणदाता
3. प्रपत्र डी - परिचालनगत ऋणदाता-कामगार/कर्मचारी
4. प्रपत्र ई - परिचालनगत ऋणदाता-कामगार/कर्मचारियों के प्रतिनिधि
5. प्रपत्र एफ - अन्य ऋणदाता

प्रपत्र [www.ibbi.gov.in](http://www.ibbi.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है। वित्तीय ऋणदाताओं को अपने दावों के साक्ष्य सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा करना होगा। परिचालनगत ऋणदाता, कामगार एवं कर्मचारी सहित, अपने दावों के साक्ष्य व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा कर सकते हैं। दावों के गलत रहने पर अथवा झूठे साक्ष्य जमा करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

**तारीख : 27/04/2018**

**स्थान : लखनऊ**

**सीएस श्रवण कुमार विशनोई  
अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर**

*Shamrun*